RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक ११] बुधवार, मार्च ३०, २०१६/चैत्र १०, शके १९३८ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ३० मार्च, २०१६ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XIII OF 2016.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १३ सन् २०१६।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५९ का ३ ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०१६ कहलाए । संक्षिप्त नाम ।

सन् १९५९ का ३ की धारा १०-१ क में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १०-१क में, विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का ३ ।

" परंतु, आम या उप-चुनावों के लिए, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार, नामांकन दाखिल करने के दिनांक ३१ दिसंबर २०१७ को या के पूर्व कोई व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, लेकिन जिसे नामांकन पत्र के दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह नामनिर्देशन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) वैधता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि कोई व्यक्ति जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सदस्य होने से निरर्ह हो जाएगा । " ।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३०-१क में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ३०-१क में विद्यमान परंतुकों के स्थान में, निम्नलिखित परंतुक, रखे जाएँगे, अर्थात् :—

" परंतु, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसरण में, **सरपंच** पद के लिए निर्वाचनों जिसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक २८ फरवरी २०१८ को या के पूर्व हो तो, ऐसा व्यक्ति जिसने नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक के पूर्व अपने जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए संवीक्षा समिति को आवेदन किया है, किंतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक पर विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो, नामांकन पत्र के साथ, निम्न प्रस्तुत करेगा,—

(एक) विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की सत्य प्रतिलिपि या संवीक्षा समिति को ऐसा आवेदन करने का कोई अन्य सबूत ; और

(दो) यह वचनबंध कि, वह, संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया विधिमान्यता प्रमाणपत्र जिस दिनांक को वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा :

परंतु आगे यह कि, यदि कोई व्यक्ति, जिस दिनांक से वह निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर, विधिमान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है तो, उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह सरपंच होने से निरर्ह हो जाएगा । " ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) की धारा १० (१) (क) यह उपबंध करती है कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या, यथास्थिति, पिछड़े वर्गों से संबंधित नागरिकों के लिए आरक्षित सीट पर निर्वाचन लड़ने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, नामांकन पत्र के साथ महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)**, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े प्रवर्ग (जारी करने तथा सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) के उपबंधों के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र और संवीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

२. विभिन्न कक्षाओं तथा वृत्तिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जाति संवीक्षा समिति, जिस पर पहले से ही कार्य का अत्याधिक बोझ है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर इन छात्रों के आवेदनों की संवीक्षा का कार्य, जो निरंतर प्रक्रिया है, करना होगा । इसके परिणामस्वरूप जाति संवीक्षा समिति से जाति वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में पंचायत निर्वाचन लड़नेवाले उम्मीदवारों को कठिनाइयाँ होती है ।

३. क्योंकि समिति पर सत्यापन कार्य का अत्यधिक बोझ है अन्यथा जाति संवीक्षा समिति द्वारा केवल समय पर जाति वैधता प्रमाणपत्र जारी न करने के कारण महाराष्ट्र ग्राम पंचायत के आरक्षित पदों के लिए भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित नहीं होंगे, आरक्षित सीटों के लिए निर्वाचन लड़ने के इच्छुक और जिस दिनांक पर वे निर्वाचित घोषित हुए थे उस दिनांक से छह महीने के भीतर, जाति वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जाति संवीक्षा समिति को जिसने आवेदन किया है ऐसे व्यक्तियों को अनुमति देने की दृष्टि से सरकार ने, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन करना इष्टकर समझा है । उसी तरह, आरक्षित पदों के विरुद्ध निर्वाचित **ग्राम पंचायत** के सदस्य और **सरपंच** को जिस दिनांक पर वे निर्वाचित घोषित हुए थे उस दिनांक से छह महीने के भीतर, वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए सरकार, उक्त अधिनियम की धाराएँ १०-१क और ३०-१क में संशोधन करना इष्टकर समझती है ।

४. इसलिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) के उपबंधों को यथोचितरीत्या संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुम्बई,
दिनांकित २९ मार्च, २०१६ ।

पंकजा मुंडे,
ग्रामविकास मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ३० मार्च, २०१६।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.